Executive Engineers is made from two sources viz. Assistant Executive Engineers and Assistant Engineers. For recruitment through the two sources a quota has been fixed by rule, statutorily. However, due to non-availability of people from one source, the posts have been, in the exigencies of public service, filled by appointment of the people from the other group. The Supreme Court has held that such people having been appointed in excess of their quota, will have to be pushed down and absorbed in the year in which they can be adjusted against their own quota vacancies. Their officiating appointment on a regular basis, will therefore, be deemed to have commenced only from the date of their absorption against their quota. Due to this there will be a difference between the date of appointment, in exigencies of public service, in excess of their quota and officiating appointment on a regular basis. Both these information are furnished hereunder:—

	Civil Engineers		Electrical Engineers	
	On regular basis	Total (including regular and ad-hoc)	Regular	Total (including regular and ad-hoc)
No. of EEs Officiating for more than 20 years .	..	7	..	
No. of EEs officiating between 15 and 20 years	3	52	..	4
No. of EEs. officiating between 10 and 15 years .	17	57	41	16

कृषि उत्पादों की लेवी वसूली के लिये भुगतान की अवधि सीमा

1808. **श्री मीठा लाल पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में लेवी के तरीके से चावल तथा अन्य उत्पादों की वसूली के कारण देय राशि के भुगतान के लिये कोई अवधि सीमा निश्चित की गई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विलम्ब से किये गये भुगतान पर भी कोई ब्याज देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और अन्य लेवी वसूली राज्यों में इस बारे में क्या नीति अपनाई गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). क्योंकि भुगतान शीघ्र किए जाते हैं इसलिए ब्याज देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है । राजस्थान में लेवी चावल का शीघ्र और सामयिक भुगतान करने के लिये भाण्डागार रसीद तौल जांच-मेमो के प्रस्तुत करने पर 90 प्रतिशत भुगतान किया जाता है और किस्म संबंधी कटौती, यदि कोई हो, करने के बाद जिला प्रयोगशाला से किस्म संबंधी सर्टिफिकेट प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर शेष 10 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है । अन्य राज्यों, जहां पर भारतीय खादय निगम केन्द्रीय भंडार के लिए सीधे मिल मालिकों से चावल की वसूली कर रहा है, के मामले में भी ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में 'सलेक्शन ग्रेड'

1809. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों में 'सलेक्शन ग्रेड' की दोषपूर्ण प्रणाली है ;

(ख) क्या बहुत से वरिष्ठ अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड नहीं मिल रहा है जबकि दूसरे स्कूलों में उनसे कनिष्ठ अध्यापकों को सलेक्शन ग्रेड मिल रहा है ;

(ग) इस दोषपूर्ण प्रणाली को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या दिल्ली के अध्यापक संगठनों ने मांग की है कि 15 वर्ष की सेवा के पश्चात् प्रत्यक अध्यापक को सलेक्शन ग्रेड दिया जाये; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द चन्दर) : (क) और (ख). प्रत्येक सहायता प्राप्त स्कूल स्वयं में एक यूनिट होता है। सलेक्शन ग्रेड, वरीयता, और योग्यता के आधार पर दिया जाता है। और क्योंकि प्रत्यक सहायता प्राप्त स्कूल के लिए वरीयता सूचियां अलग से रखी जाती हैं। अतः अन्य सहायता प्राप्त स्कूल के साथ तुलना नहीं की जा सकती।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि 20 प्रीतशत सलेक्शन ग्रेड पदों का वर्तमाव कोटा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं।

Criteria for establishment of Central Schools

1810. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the criteria for establishment of Central Schools in various areas;

(b) whether Government have considered need for establishment of Central Schools in rural areas as well; and

(c) if so, the salient features of any plan in this regard?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) to (c). The criteria for establishment of Central Schools are given in the statement attached.

STATEMENT

1. Proposals for opening new Kendriya Vidyalayas (Central Schools) are considered only:—

(i) When requests are received from any of the following:—

(a) Ministries or Departments of the Government of India,

(b) State Governments,

(c) Union Territory Administrations,

(d) Organisation of employees belonging to the eligibe categories; [as in (iii)].

(ii) When a piece of land, measuring about 15 acres, is made available by the Sponsoring Authority, free of cost to the Kendriya Vidyalaya Sangathan;

(iii) When there is a concentration of at least 500 employees of the Defence Services or of Central Governments Transferable Employees or of the Government of India Undertakings, individually or jointly, and when there are at least 200 children willing to be enrolled in different classes of the proposed Kendriya Vidyalaya (Central School) to begin with.